ग्रा.पं. मुकलावा बनाम सरकार आदि
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 136 एल.आर.ए.
प्र.सं. 190/2012 जीसीएमएस आईडी : 2012/00241

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए |
|---|---|---|
| 28.06.2023 | आज यह पत्रावली **प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कैम्प ग्राम पंचायत मुकलावा** में पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2023/2686 दिनांक 20.06.2023 रिपोर्ट उपतहसीलदार मुकलावा क्रमांक/भू.अ./23/1062 दिनांक 14.06.2023 प्राप्त हुई। वकील उभयपक्ष एवं राजपैरोकार ने रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर/उपतहसीलदार मुकलावा के आधार पर वाद पत्र डिक्री फरमाने के लिए निवेदन किया।<br>पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर/उप तहसीलदार मुकलावा की रिपोर्ट अनुसार "वादी ग्रांम पंचायत मुकलावा जरिये सरंपच ग्राम पंचायत मुकलावा द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी ग्रांम पंचायत द्वारा विद्यालय निर्माण हेतु अपनी भूमी वाके चक 17 टी.के के मु.न. 01 प.न. 156/298 में से 705 फुट लम्बाई 650 फुट चोड़ाई की भूमी यानी 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि दिनांक 27.09.1972 को दान की गई थी लेकिन राजस्व अभिलेख से मालूम हुआ की गत भू प्रबन्ध अधिकारी ने एक सदभाविक भूल से चक 17 टी.के के मु.न. 01 प.न. 156/298 की समस्त भूमी विद्यालय के नाम से दिखा रखी है ग्राम पंचायत ने विद्यालय को सीमित भूमि दी थी परन्तु विद्यालय को दी गई भूमि के उतर की तरफ विद्यालय द्वारा कुछ ओर भूमि का कब्जा कर रखा है राजस्व विभाग द्वारा विद्यालय के नाम से बनाई गई गलत जमाबन्दी को सही करवाकर दान में दी गई भूमि के अलावा बाकी भूमि को अपने नाम से अमल दरामद करवाना चाहता है इस प्रकार वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर विद्यालय के नाम दर्ज भूमि में से चक 17 टी.के के मु.न. 01 प.न.156/298 के किला न. 1/0.164 है0, 2/0.177 है., 3/0.184 है0, 4/0.253, 5/0.126 है0, 6/0.127 है., 15/0.126 है0, 16/0.127 है. कुल 1.385 है. रकबा को ग्राम पंचायत की भूमि घोषित करवाना चाहता है प्रकरण की विस्तृत जांच की गई, जो निम्न प्रकार से है–<br>1. यह है कि दिनांक 23.09.1972 को ग्रांम पंचायत जरिये संरपच एक किता बैयनामा प्लाट 750 X 750 फुट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकलावा के पक्ष में दस्तावेज पंजीबद्व करवाया गया है।<br>2. यह है कि भू. प्रबन्ध विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रकरण सख्या 298/77 में दिनांक 30.05.1977 को सिवाय चक में दर्ज भूमी को खारीज कर चक 17 टीके के मु.न. 01 के 25 बीघा में से किला न. 1 ता 4 सालम, किला न. 5/0.10, 6/0.10, 15/0.10,16/0.10, किला न. 7 ता 14 सालम, 17 ता 24 सालम, किला न. 25/0.10 कुल 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकलावा के नाम गैर मुमकिन दर्ज करवाये जाने के आदेश जारी किए गए थे। इसी अनुसार वर्तमान जंमाबदी में रकबा दर्ज रिकॉर्ड है। मु.न. 1 का शेष रकबा किला न. 5/2/0.127 है, 6/1/0.126 है0, 15/2/.127 है0 16/1/.126 है0., 25/2/.127 है0. कुल 0.633 हैक्टयर रकबा आराजीराज दर्ज है।<br>3. यह है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पटवारी हल्का के साथ मौका निरीक्षण किया गया व मौका पर ही विद्यालय की वर्तमान काबिज भूमि की पैमाईश की गई। मौका पर उक्त मु.न. 01 के किला.न. 1,2 ,3 में प्रत्येक में 0.177 है0 व किला न. 4,5,6,15,सालम किला न.16 में 0.215 है0 भूमि कुल 1.758 है0 पर आबादी(घर, दुकाने व गली) बसी हुई है व मु.न. 01 के किला न. 1/0.076 है., 2/0.076 है0, 3/0.076 है. 7 ता 14 सालम, 16/0.038 है0, 17 ता 25 सालम भूमि कुल भूमि 4.567 है0 पर राजकीय [illegible] साथ चिपते मु.न. 07 के किला न. 01 ता 4 सालम तथा [illegible] 0.114 है0 कुल 1.126 है0 आराजीराज भूमि [illegible] इस प्रकार मु.न. 01 के 4.567 है0 व मु.न. [illegible] है0 यानि 22 बीघा 10 बिस्वा रकबा पर रा.उ.मा.वि. मुकलावा मौका पर [illegible]<br>4. यह है कि वाद पत्र, भू. प्रबन्ध विभाग के आवंटन [illegible] स्पष्ट हुआ कि जमाबंदी तथा मौका निरीक्षण कर की गई पैमाईश [illegible] 25 बीघा रकबा राज भूमि भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा चक 17 टी.के के मु.न. 01 के में से 22 बिघा 10 बिस्वा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकलावा को आंवटित की गई थी लेकिन उक्त विद्यालय चक 17 टी.के के मु.न. 1 के 4.567 है0 मु0न. 7 के 1.126 है0 कुल 5.693 है0 यानी 22 बीघा 10 बिस्वा रकबा पर वर्षो से काबिज है। आवंटन आदेश में विद्यालय के नाम आंवटित रकबा में से मु.न. 01 के किला न. 1,2 ,3 में प्रत्येक में 0.177 है0, 4/0.253 है0, 5/0.126 है0, 6/0.127 है0, 15/ 0.126 है0, 16/0.089 है.0 रकबा पर वर्षो से आबादी बसी हुई है। मौका पर की गई उक्त सीमांकन के पश्चात स्पष्ट हुआ की | सरस्वती<br>सरपंच ग्रा0पंचायत<br>मुकलावा |

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.07.05 17:16:32 IST
Reason: SelfAttested

विद्यालय को 22 बिघा 10 बिस्वा आवंटित हुआ था और मौका पर भी विद्यालय 22 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज है विद्यालय को आवंटन मु.न. 01 में हुआ जबकि मु.न. 01 व 07 में मौका पर वर्षो से काबिज है ।

5. वादी ग्राम पंचायत द्वारा वाद पत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रकबा में से 1.385 है0 को ग्राम पंचायत की भूमि दर्ज करवाना चाहा है जबकि उक्त भूमि आराजीराज से विद्यालय को आवंटित हुई थी विद्यालय के अलावा शेष वादगत भूमि आराजीराज दर्ज है इस कारण वादी द्वारा 1.385 है0 रकबा को ग्राम पंचायत को दिया नही जा सकता है।

अतः उक्त तमाम तथ्यो के आधार पर निवेदन है कि **भू प्रबन्ध विभाग द्वारा चक 17 टीके के मु.न. 01 की 22 बिघा 10 बिस्वा भुमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकलावा को आवंटित की गई थी, लेकिन रा.उ.मा.वि. मुकलावा द्वारा मौका पर निर्मित भवन एवं चारदिवारी को मध्यनजर रखते हुए इसी आधार पर दुरूस्ती कर वर्षो से काबिज मु.न. 01 के किला न. 1/0.076 है., 2/0.076 है0, 3/0.076 है. 7 ता 14 सालम, 16/0.038 है0, 17 ता 25 सालम भूमि कुल भूमि 4.567 है0 व मु.न. 07 के किला न. 01 ता 4 सालम तथा किला 5 में 0.114 है0 कुल 1.126 है0 भुमि कुल 5.693 है0 रकबा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकलावा के नाम तथा मौका पर वर्षो से बसी आबादी एवं बाजार चक 17 टी.के के मु.न. 01 के किला.न. 1, 2 ,3 में प्रत्येक में 0.177 है0 व किला न. 4,5,6,15,सालम किला न.16 में 0.215 है0 भूमि कुल 1.758 है0 को आराजीराज भुमि दर्ज किये जाने से भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा हुई सद्भाविक गलती की दुरस्ती किया जाना संभव है अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्तानुसार दुरस्ती किए जाने की अनुशषा की जाती है।"**

वकील उभयपक्ष द्वारा उक्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वाद पत्र निस्तारित करने हेतु निवेदन किया और अपनी बहस में रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/भू.अ./2023/2686 दिनांक 20.06.2023 रिपोर्ट उपतहसीलदार मुकलावा क्रमांक/भू.अ./23/1062 दिनांक 14.06.2023 के अनुसार ही वाद निस्तारित निर्णित करने के लिए उभयपक्ष की ओर से सहमति जताई। वाद पत्र डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया।

चूंकि प्रकरण में उभयपक्ष सहमति से वाद पत्र निस्तारित करवाना चाहते हैं तथा प्रकरण में राजस्व अधिकारी तहसीलदार रायसिंहनगर एवं उप तहसीलदार मुकलावा(राजपैरोकार) के द्वारा भी प्रेषित रिपोर्ट में भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा हुई सद्भाविक गलती को दुरस्त कर चक 17 टीके मु.न. 01 के किला न. 1/0.076 है., 2/0.076 है0, 3/0.076 है. 7 ता 14 सालम, 16/0.038 है0, 17 ता 25 सालम भूमि कुल भूमि 4.567 है0 व मु.न. 07 के किला न. 01 ता 4 सालम तथा किला 5 में 0.114 है0 कुल 1.126 है0 भुमि कुल 5.693 है0 रकबा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकलावा के नाम तथा मौका पर वर्षो से बसी आबादी एवं बाजार चक 17 टी.के के मु.न. 01 के किला.न. 1, 2 ,3 में प्रत्येक में 0.177 है0 व किला न. 4,5,6,15 सालम किला न. 16 में 0.215 है0 भूमि कुल 1.758 है0 को आराजीराज भुमि दर्ज किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रकरण में दोनों पक्ष राजकीय ग्राम पंचायत एवं राजकीय विद्यालय हैं, प्रकरण लोकहित का हैं। विद्यालय के नाम दर्ज भूमि पर ग्राम पंचायत की आबादी एवं दुकाने बनी हुई है, काबिज हैं। तथा विद्यालय, रिकार्ड में विद्यालय के नाम दर्ज भूमि पर अवस्थित संचालित नहीं होकर विद्यालय से सटी हुई आराजीराज भूमि पर काबिज/अवस्थित और संचालित हैं। न्यायालय की मत में ऐसी स्थिति में लोकहित में वाद पत्र स्वीकार कर पक्षकारों की आपसी सहमति एवं रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर एवं उप तहसीलदार मुकलावा के आधार पर रिकार्ड में संशोधित किया जाना उचित एवं आवश्यक हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर पक्षकारों की आपसी सहमति एवं रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर एवं उप तहसीलदार मुकलावा के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में से चक 17 टीके मु.न. 01 के किला न. 1/0.076 है., 2/0.076 है0, 3/0.076 है. 7 ता 14 सालम, 16/0.038 है0, 17 ता 25 सालम भूमि कुल भूमि 4.567 है0 व मु.न. 07 के किला न. 01 ता 4 सालम तथा किला 5 में 0.114 है0 कुल 1.126 है0 भुमि कुल 5.693 है0 रकबा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकलावा के नाम से एवं चक 17 टी.के के मु.न. 01 के किला.न. 1, 2, 3 में प्रत्येक में 0.177 है0 व किला न. 4,5,6,15 सालम किला न. 16 में 0.215 है0 भूमि कुल 1.758 है0 को आराजीराज/रकबाराज को राजस्व रिकार्ड में संशोधित करने के आदेश दिए जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.06.2023 को मजमा-ए-आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.07.05 17:16:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
कैम्प– ग्राम पंचायत, मुकलावा